

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1229 / 2012 / सिरौही.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सिरौही.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेन्द्र स्टील एण्ड हार्डवेयर, आबूरोड़, सिरौही.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 30 / 01 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 206/आरवैट/सिरौही/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सीमेन्ट का व्यवसाय किया जाता है। व्यवहारी द्वारा सीमेंट की खरीद पर आई.टी.सी. का क्लेम लिया गया था एवं माल की बिक्री पूरे बाजार मूल्य से की गयी थी, उसके पश्चात व्यवहारी को विक्रेता सीमेंट कम्पनी की ओर से इन्सेंटिव के रूप में डिस्काउण्ट की राशि प्राप्त हुई थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को प्राप्त डिस्काउण्ट की राशि को उसकी खरीद की कुल राशि में से कम करते हुए उस राशि पर आई.टी.सी. को भी कम कर दिया गया। इस तरह आई.टी.सी. को रिवर्स किये जाने के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की गयी, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को उसके क्रेताओं से जो क्रेडिट नोट प्राप्त हुए हैं, उसमें आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया है वह विधिसम्मत है क्योंकि उतनी राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्राप्त होने से उसके खरीद मूल्य की राशि कम हो जाती है अतः अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से जवाब में यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सीमेंट का क्रय किया जाकर उसे पूर्ण बाजार भाव से विक्रय किया गया है तथा उसके द्वारा खरीद किये गये माल पर आई.टी.सी. का क्लेम लिया गया है। उन्होंने जवाब में बताया है कि व्यवहारी को डिस्काउण्ट के रूप में जो राशि उसके विक्रेताओं ने प्रदान की है वह क्वान्टिटी डिस्काउण्ट, केश डिस्काउण्ट एवं वार्षिक डिस्काउण्ट के एवज में प्रदान की है परन्तु इन क्रेडिट नोट्स पर वेट का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है अर्थात् वेट की राशि को कम नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में व्यवहारी का आई.टी.सी. क्लेम कम किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

5. लिखित जवाब में कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18(3)(ए) जो कि दिनांक 09.03.2011 से अन्तर्वलित की गयी थी उसके पश्चात् किसी व्यवहारी द्वारा उसके माल के विक्रय पर देय आउटपुट टैक्स यदि इनपुट टैक्स से कम होता है तो उस स्थिति में आउटपुट टैक्स की सीमा तक ही आई.टी.सी. क्लेम देने के प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कथन किया कि दिनांक 09.03.2011 के पूर्व के मामलों में आई.टी.सी. का क्लेम रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त जालौर बनाम रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी (2013) 37 टैक्स अपडेट 187 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बी, उदयपुर (2012) 33 टैक्स अपडेट 198 का हवाला देते हुए कथन किया है कि इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया जा चुका है कि दिनांक 09.03.2011 से पूर्व विक्रय मूल्य से अधिक क्रय मूल्य पर आई.टी.सी. कम नहीं की जा सकती।

6. उभय पक्ष के कथनों पर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।


7. कर निर्धारण आदेश वर्ष 2008-09 की अवधि से सम्बन्धित है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की खरीद राशि पर प्राप्त क्रेडिट नोट की राशि रुपये 4,97,716/- पर आनुपातिक आधार पर आई.टी.सी. रुपये 42,240/- कम की गई है। दिनांक 09.03.2011 के पूर्व ऐसा कोई प्रावधान



लगातार.....3

नहीं था कि किसी भी व्यवहारी को उसके आउटपुट टैक्स से इनुपट टैक्स की राशि अधिक होने की स्थिति में आउटपुट टैक्स के बराबर ही आई.टी.सी. देय होगी। प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक का यह कथन उचित है कि व्यवहारी द्वारा जो डिस्काउण्ट प्राप्त किया गया है वह विक्रेता व्यवहारियों से प्राप्त किया गया है तथा इसका विक्रय मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में उसके आई.टी.सी. को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी को जो क्रेडिट नोट प्राप्त हुए हैं उसमें वेट राशि को कम नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी से जो विक्रेता व्यवहारियों द्वारा जो वेट वसूल किया गया था वह नियमानुसार राजकोष में जमा करवाया हुआ है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स में निर्णय किया जा चुका है कि वेट अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के अधिनियम में स्थापित किये जाने से पूर्व के मामलों पर खरीद मूल्य में से कम नहीं की जा सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी भीनमाल (37 टैक्स अपडेट 187) में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश को विधिसम्मत ठहराया गया है। अतः प्रकरण में विधिक एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में भी स्पष्ट है कि दिनांक 09.03.2011 से पूर्व के मामलों में खरीदे गये माल पर आई.टी.सी. को कम किया जाना विधिक दृष्टि से अनुमत नहीं है। उपरोक्तानुसार अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य